झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

जिला सम्वर्ग अन्तर्गत प्रारंम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक के नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञप्ति संख्या - 46/2011

मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1341 दिनांक 14.05.2011 एवं पत्रांक 1450 दिनांक 23.05.2011 के आलोक में सूचित किया जाता है कि प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति संख्या 27/2011 दिनांक 26.03.2011 एवं अनुवर्त्ती विज्ञप्ति के आलोक में पूर्व निर्धारित शिक्षक नियुक्ति प्रारम्भिक परीक्षा को शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य मानते हुए इसे प्रारम्भिक परीक्षा सह अध्यापक पात्रता परीक्षा के रूप में एक समव्यवहार के लिए पढ़ा जायेगा।

इस परीक्षा का आयोजन निम्न प्रकार किया जायेगाः–

1) सामान्य ज्ञान/पर्यावरण अध्ययन	–	30 अंक
2) गणित	–	30 अंक
3) भाषा (क) जनजातीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा	–	30 अंक
4) भाषा (ख) हिन्दी शिक्षक के लिए हिन्दी उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू	–	30 अंक
5) बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र	–	30 अंक
कुल योग	–	150 अंक

उक्त परीक्षा में एक पत्र एवं समय दो घण्टों की होगी। उक्त परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य कोटि के अभ्यर्थी अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होंगे एवं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50% होगा। प्रारम्भिक परीक्षा–सह–अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे।

विज्ञप्ति की शेष शर्त्ते यथावत् रहेगी।

नोटः- विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची भूल सुधार या टाईपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/PTR/8692/11/SECY/151/11
Dt. - 24.05.2011
D.O.P. - 25.05.2011